न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी, छतरपुर

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री विश्वास गुप्ता , निवासी सेवा ग्राम खजुराहो तहसील रघुराज नगर जिला छतरपुर

.... आवेदिका

बनाम

म.प्र. शासन .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 103/ अ–2/ 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 एवं पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक 303/ 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 से परिवेदित होकर निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, खजुराहो स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 322/2 रकवा 0.405 हेक्टर के भूमि स्वामी बिहारीलाल पुत्र बिन्दा प्रसाद पटेल थे। उक्त भूमि का डायवर्सन हेतु बिहारीलाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के समक्ष धारा 172 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 5/अ–2/ 95–96 पर दर्ज किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित कर पारित आदेश दिनाक 30.10.95 को विवादित भूमि का डायवर्सन किया गया किन्तु उक्त आदेश का अमल अभिलेख में नही किया गया था।

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 3421–एक/2016 निगरानी **जिला छतरपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
4-10-16	अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर , जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 103/अ–2/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 31–8–16 तथा इसी प्रकरण पर से दायर पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 303/215–16 में पारित आदेश दिनांक 23–9–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला कृष्णादेवी पत्नि विश्वास कुमार गुप्ता निवासी सेवाग्राम खजुराहो तहसील राजनगर ने उसके स्वामित्व की खजुराहो स्थित भूमि सर्वे कमांक 322/2/1 रकबा 0.330 हैक्टर के अंश भाग 0.010 आरे पर निर्माण कार्य कराया , जिस पर से हलका पटवारी ने अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर को रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि आवेदिका व्दारा बिना व्यपवर्तन के निर्माण कार्य किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी खजुराहो ने प्रकरण कमांक 103/अ–2/2014–15 पंजीबद्ध किया तथा आवेदिका को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया। तदुपरांत आदेश दिनांक 31–8–16 पारित करके पूर्वादेश दिनांक 24–5–16 से अधिरोपित अर्थदण्ड 21,468/–रू. यथावत् रखते हुये भूमि को 15 दिवस के भीतर मूल रूप में लाने तथा निर्मित संरचना हटाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर , जिला	

प्र0क03421-एक/2016 निगरानी

टीकमगढ़ के समक्ष पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 303/215-16 दायर कराया, जिसमें पारित आदेश दिनांक 23-9-16 से पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया गयां। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदिका के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष संहिता की धारा 172(1) के तहत आवेदन देने पर प्रकरण नंबर 5/अ-2/95-96 में पारित आदेश दिनांक 30-10-95 से विवादित भूमि का पूर्व में ही डायवर्सन हो चुका है किन्तु शास्कीय अभिलेख में अमल न करने के कारण उपरोक्त स्थिति निर्मित हुई है, जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण नंबर 5/अ-2/95-96 में पारित आदेश दिनांक 30-10-95 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति एंव अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये, उन्होंने इन दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य न करने की भूल की है। उन्होंने निगरानी स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। शासन के पैनल लायर ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण नंबर 5/अ-2/95-96 में पारित आदेश दिनांक 30-10-95 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति एंव अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं , वह अपठनीय एंव सुसंगत न होने से साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 3421–एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
	आदेश को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की। 4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि आवेदिका व्दारा प्रकरण कमांक 5/अ–2/95–96 में पारित आदेश दिनांक 30–10–95 से वाद विचारित भूमि का मद परिवर्तन होना बताया गया है एंव यह प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय का है। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण कमांक 303/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23–9–16 के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि उन्होंने आदेश दिनांक 23–9–16 से पुनरावलोकन आवेदन इसलिये अमान्य किया है कि प्रकरण कमांक 5/अ–2/95–96 में पारित आदेश दिनांक 30–10–95 की आवेदिका ने जो छायाप्रति प्रस्तुत की है वह अस्पष्ट व अपठनीय है जबकि प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 5/अ–2/95–96 अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के न्यायालय का है एंव उनका दायित्व था कि वह अभिलेख से मूल प्रकरण मॅगाते एंव अवलोकन उपरांत आदेश पारित कर पक्षकार को निष्पक्ष न्याय प्रदान करते, किन्तु उनके व्दारा पदीय दायित्वों का भलीभॉति निर्वहन न करते हुये प्रकरण में अनुदारतापूर्वक कार्य कर निर्णय लिया है जिसके कारण	

अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर , जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 103/अ-2/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31-8-16 तथा पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 303/215-16 में पारित आदेश दिनांक 23-9-16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर , जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 103/अ-2/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31-8-16 तथा पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 303/215-16 में पारित आदेश दिनांक 23-9-16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य